

क्र.सं.संख्या-399

रजिस्टर्ड नं. ए० डी० - 4



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)
(परिवर्तित आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 1 अगस्त, 1977
भाव 9, 1899 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार
शिक्षा अनुभाग-6

संख्या 8314/15 (6)-9 (7)-73

लखनऊ, 1 अगस्त, 1977

अधिसूचना

प० सं०-367

उत्तर प्रदेश साधारण अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1904) की धारा 21 के
समय पत्रित उत्तर प्रदेश वैदिक शिक्षा अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1972) की धारा 19
की उपधारा (1) के अधीन शिक्षा का अंगीकार करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त वैदिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की
नियमावली, 1977)

उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त वैदिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा
संशोधन) नियमावली, 1977 तहरीत में। संशोधन नाम घरे
प्रारम्भ

1101, 6 May

ENIDH 15

(2) 12.12

---:1111 123 54 1111 11 123

6-2214

(404 21422)

(ԵՄԵՂ ԲԵՐԵՂՅԱՆ ԸՄԲԵՐՆԻ)

7-2222

[illegible]

יְהוָה יִשְׁמַר אֶת צְדָקָתְךָ יְהוָה

1. הנהגות
 2. הנהגות
 3. הנהגות
 4. הנהגות
 5. הנהגות
 6. הנהגות
 7. הנהגות
 8. הנהגות
 9. הנהגות
 10. הנהגות
 11. הנהגות
 12. הנהגות
 13. הנהגות
 14. הנהגות
 15. הנהגות
 16. הנהגות
 17. הנהגות
 18. הנהגות
 19. הנהגות
 20. הנהגות
 21. הנהגות
 22. הנהגות
 23. הנהגות
 24. הנהגות
 25. הנהגות
 26. הנהגות
 27. הנהגות
 28. הנהגות
 29. הנהגות
 30. הנהגות
 31. הנהגות
 32. הנהגות
 33. הנהגות
 34. הנהגות
 35. הנהגות
 36. הנהגות
 37. הנהגות
 38. הנהגות
 39. הנהגות
 40. הנהגות
 41. הנהגות
 42. הנהגות
 43. הנהגות
 44. הנהגות
 45. הנהגות
 46. הנהגות
 47. הנהגות
 48. הנהגות
 49. הנהגות
 50. הנהגות
 51. הנהגות
 52. הנהגות
 53. הנהגות
 54. הנהגות
 55. הנהגות
 56. הנהגות
 57. הנהגות
 58. הנהגות
 59. הנהגות
 60. הנהגות
 61. הנהגות
 62. הנהגות
 63. הנהגות
 64. הנהגות
 65. הנהגות
 66. הנהגות
 67. הנהגות
 68. הנהגות
 69. הנהגות
 70. הנהגות
 71. הנהגות
 72. הנהגות
 73. הנהגות
 74. הנהגות
 75. הנהגות
 76. הנהגות
 77. הנהגות
 78. הנהגות
 79. הנהגות
 80. הנהגות
 81. הנהגות
 82. הנהגות
 83. הנהגות
 84. הנהגות
 85. הנהגות
 86. הנהגות
 87. הנהגות
 88. הנהגות
 89. הנהגות
 90. הנהגות
 91. הנהגות
 92. הנהגות
 93. הנהגות
 94. הנהגות
 95. הנהגות
 96. הנהגות
 97. הנהגות
 98. הנהגות
 99. הנהגות
 100. הנהגות

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044

1. 1915-1916 (1. 1915-1916)

[illegible]

: 11.21.15

३०
 ३१
 ३२
 ३३
 ३४
 ३५
 ३६
 ३७
 ३८
 ३९
 ४०
 ४१
 ४२
 ४३
 ४४
 ४५
 ४६
 ४७
 ४८
 ४९
 ५०
 ५१
 ५२
 ५३
 ५४
 ५५
 ५६
 ५७
 ५८
 ५९
 ६०
 ६१
 ६२
 ६३
 ६४
 ६५
 ६६
 ६७
 ६८
 ६९
 ७०
 ७१
 ७२
 ७३
 ७४
 ७५
 ७६
 ७७
 ७८
 ७९
 ८०
 ८१
 ८२
 ८३
 ८४
 ८५
 ८६
 ८७
 ८८
 ८९
 ९०
 ९१
 ९२
 ९३
 ९४
 ९५
 ९६
 ९७
 ९८
 ९९
 १००

1 1000 12 2 RE 1000 1000 1000 1000

In pursuance of the provisions of clause (3) c Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation, of the Notification no. 8314XY(6)-(57)-73-U.P.A.-34-1977-Rule-1975-AM(1)-77, dated August 1, 1977, for general information :

1, 1977, for General Information:

No. 8314/XV(6)--9(7)-73--U.P.A.-34/972-Kole-1975-AM(1)-77

Dated Lucknow, August 1977

In exercise of the powers under sub-section (1) of section (9) of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972 (U. P. Act no. 34 of 1972), read with section 21 Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U. P. Act no. 1 of 1904), the Government is pleased to make the following Rules :

प्रमाण-संख्या-399

रजिस्टर्ड नं. ए० डी० - 4



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)
(परिवर्तित आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 1 अगस्त, 1977
आवक 9, 1899 अंक सम्बन्ध

उत्तर प्रदेश सरकार
शिक्षा अनुभाग-6

संख्या 8314/15 (6)-9 (7)-77
लखनऊ, 1 अगस्त, 1977

अधिमूचना

पृष्ठ 10-367

उत्तर प्रदेश साधारण अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1904) की धारा 21 के
साथ पठित उत्तर प्रदेश वैश्विक शिक्षा अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1972) की धारा 19
की उपधारा (1) के अधीन तदनुसार के रूप में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1977 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1977) की धारा 21 के
अधीन तदनुसार के रूप में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1977 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1977) की धारा 21 के
अधीन तदनुसार के रूप में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

संश्लेषण नाम पर
प्रारम्भ

अध्याय 12

उत्तर प्रदेश मान्यता-प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें) नियमावली, 1975

उत्तर प्रदेश साधारण गजट में अधिसूचना संख्या 1931 पन्द्रह (5)-9-75 दिनांक 20 मई, 1975 द्वारा प्रकाशित

अनुसूची

उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम 1972 की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें) नियमावली 1975 कहलायेगी।

(2) यह नियम और नियम 11 तत्काल लागू होंगे तथा शेष उपबन्ध 1 जुलाई, 1975 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ — इस नियमावली में जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 से है।

(ख) "जूनियर बेसिक स्कूल" का तात्पर्य हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट कालेज से भिन्न ऐसी संस्था से है जिसमें कक्षा 5 तक की शिक्षा दी जाती हो।

(ग) "परिपद" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन संघटित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिपद से है।

(घ) "जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से है।

(ङ) "मान्यता प्राप्त स्कूल" का तात्पर्य इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व परिपद के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसे जूनियर स्कूल से है जो परिपद या किसी स्थानीय निकाय की संस्था न हो और उसके द्वारा पूर्णतः अनुरक्षित न हो।

3. लागू होना — प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल एतत्पश्चात् विनिर्दिष्ट शर्तों तथा निबन्धनों को मानने के लिए बाध्य होगा।

4. वित्तीय साधन — प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल में, उसके सुचारु रूप से संचालन के लिए उस स्कूल के प्रबन्धाधिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध किये जायेंगे तथा जिन विषयों में अध्यापन के लिए ऐसे स्कूल को मान्यता दी गई हो, उनके लिए परिपद द्वारा विनिर्दिष्ट मानक के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।

5. भवन तथा साज सजा — प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल के लिए ऐसे भवन, शौचालय खेलकूद के मैदान एवं साज सजा की, जो परिपद द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार हो, तथा साफ और हवादार भवन का निर्माण स्वास्थ्यप्रद स्थान एवं वातावरण में किये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

6. शिक्षा शुल्क — नियम 7 के उपबन्धों के अधीन रहते होंगे किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में विद्यार्थियों

से शिक्षा शुल्क 15 रुपये प्रतिमास से अधिक की दर से लिया जा सकता है तथा कोई भी धनराशि चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय शुल्क चन्दा या अंशदान के रूप में विद्यार्थियों से नहीं ली जायेगी।

7. शिक्षा शुल्क से छूट — किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में उस स्कूल की नामावली में दर्ज कुल छात्र संख्या के 25 प्रतिशत छात्रों को शिक्षा संहिता पैरा 106 से 114 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, जहाँ तक वे लागू किये जा सकें, निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की जायेगी।

8. पाठ्य पुस्तकें — किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में परिपद द्वारा विहित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।

9. अध्यापकों की नियुक्ति — कोई भी व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में अध्यापक या अन्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह ऐसी अर्हता न रखता हो जो परिपद द्वारा इस निमित्त विहित की जाय जब तक कि उसकी नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी का लिखित पूर्वानुमोदन न प्राप्त कर लिया जाय। रिक्ति की अवस्था में सम्बद्ध प्रबन्धाधिकरण द्वारा कम से कम दो समाचार पत्रों में (जिनमें से एक दैनिक समाचार पत्र होगा) आवेदन पत्र देने के लिए कम से कम तीन दिन का समय देते हुए, विज्ञापन देकर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जायेंगे। साक्षात्कार का दिनांक विज्ञापन में दिया जा सकता है, अथवा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए नियत दिनांक की सूचना रजिस्ट्री डाक द्वारा दी जा सकती है, जिसके लिए पत्र जारी करने के लिए नियत दिनांक से कम से कम 15 दिन का समय दिया जायेगा। प्रबन्धाधिकरण किसी अप्रशिक्षित अध्यापक का चयन नहीं करेगा और यदि चयन किया गया अभ्यर्थी प्रशिक्षित है, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी उसका अनुमोदन करेगा।

10. अध्यापकों का वेतन — कोई मान्यता प्राप्त स्कूल अपने प्रत्येक अध्यापक तथा कर्मचारी को 1 जुलाई, 1975 से वही वेतनमान मंहाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिपद के समान अर्हता वाले अध्यापकों तथा कर्मचारियों को दिया जाय।

11. अध्यापकों को पदच्युत तथा सेवा से हटाना — किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल के अध्यापक को सिवाय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन के, दण्ड स्वरूप न तो पदच्युत किया जायेगा और न सेवा से हटाया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्प संख्यक वर्ग द्वारा स्थापित तथा प्रतिबन्ध मान्यता प्राप्त स्कूल की दशा में, प्रबन्धाधिकरण के निश्चय के लिए किसी अध्यापक को पदच्युत किया जाय या सेवा से हटाया जाय, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता न होगी किन्तु इस बात की सूचना उसे दी जायेगी।

12. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील — जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नियम 11 के अधीन दिये गये आदेश से क्षुब्ध कोई अध्यापक या प्रबन्धाधिकरण ऐसा आदेश सूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर परिपद की अपील कर सकता है और ऐसे अपील पर परिपद या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिया गया आदेश अन्तिम होगा।

टिप्पणियाँ

(क) भारत का संविधान, अनुच्छेद 226-उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों

ANNEXURE C.A. NO. 1

रजिस्टर्ड नं० ए० जी-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

आसाधारण

लखनऊ - मंगलवार, 20 मई, 1975

बैशाख 30 1897 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा अनुभाग-6

संख्या-1931-1566-977 73

लखनऊ 30 मई, 1975

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 की धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापकों की भर्ती, तथा सेवा की शर्तों और अन्य शर्तों

नियमावली 1975

1- 1 यह नियमावली उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल संक्षिप्त नाम तथा अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों और अन्य शर्तों नियमावली 1975 प्रारम्भ कहलायेगी ।

2- 2 यह नियम और नियम 11 तत्काल लागू होंगे तथा शेष उपबन्ध 1 जुलाई, 1975 से प्रवृत्त होंगे ।

3- इस नियमावली में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा प्रक्षेपित नहीं----- परिभाषाएं 1 "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 से है ।

2 "जूनियर बेसिक स्कूल" का तात्पर्य हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट कालेज से भिन्न ऐसी संस्था से है जिसमें कक्षा 8 तक की शिक्षा दी जाती है ।

§ ११ "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीनस्थ विनियम परिषद् उत्तर प्रदेश बेसिक से है ।

§ १२ "जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से है ।

§ १३ "मान्यता प्राप्त स्कूल" का तात्पर्य इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व, परिषद् के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसे जूनियर बेसिक स्कूल से है जो परिषद् या किसी स्थानीय निकाय की संस्थान हो और उसके द्वारा पूर्णतः अनुरक्षित न हो ।

3-प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल एवम् चालू विनिर्दिष्ट शर्तों, तथा निबन्धनों लागू होना मानने के लिए बाध्य होगा ।

वित्तीय साधन 4-----प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल में उसके सुचारु रूप से संचालन के लिए उस स्कूल के प्रबन्धाधिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध किये जायेंगे तथा जिन विषयों में अध्यापक के लिए, ऐसे स्कूल को मान्यता दी गई हो, उनके लिए परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट मानक के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी ।

भवन तथा साज-सज्जा 5-----प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल के लिए ऐसे भवन, शौचालय, खेल-कूद के मैदान एवं साज-सज्जा की, जो, परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार हो, तथा साफ और हवादार भवन का निर्माण स्वास्थ्यप्रद स्थान एवं वातावरण में किये जाने की व्यवस्था की जायेगी ।

शिक्षा शुल्क 6-----नियम-7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में विद्यार्थियों से शिक्षा शुल्क 15 रुपये प्रतिमास से अधिक की दर लिया जा सकता है तथा कोई भी धनराशि, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय शुल्क, चन्दा या अंशदान के रूप में विद्यार्थियों से नहीं ली जायेगी ।

शिक्षा शुल्क से छूट 7-----किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में उस स्कूल की नामावली में दर्ज कुल छात्र संख्या के 25 प्रतिशत छात्रों को शिक्षा संहिता के पैरा 106 से 114 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जहां तक वे लागू किये जा सकें, निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की जायेगी ।

पाठ्य पुस्तकें 8-----किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में परिषद् द्वारा विहित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा ।

अध्यापकों की 9-----कोई भी व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में अध्यापक या अन्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह परिषद् द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट

ፊደል

14 14b1b2c1e

25

52/5/2 11/1/1

142 12/2/14

14/3 2012

• ON

[illegible]

· 1

(2)

(2) This rule and rule 11 shall come into force on the first day of July, 1975